डॉ० रेणु कुमारी
अतिथी शिक्षक
भारती मण्डन महाविद्यालय
सहिका

बी.ए पार्ट-III

राजनीति विज्ञान प्रतिष्ठा

प्रस्तावना (PREAMBLE)

प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। जिन बातों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है उसी का विस्तार मात्र संविधान में मिलता है। प्रस्तावना के द्वारा हमारे शासन व्यवस्था के दार्शनिक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना के द्वारा निम्नलिखित दर्शनों को समर्पित किया गया है →

1. भारत को एक प्रभुत्वसंपन्न राष्ट्र कहा गया है। अर्थात नीति-निर्माण में भारत किसी भी बाहरी सत्ता के हस्तक्षेप को स्वीकार नही करेगा। हम अपने शासन के क्रिया-चयन में बाहरी दबाव को नही मानेंगे।

2. समाजवाद के द्वारा समाजिक (समानीकरण) पर बल दिया गया है। जिसके तहत समाज में सभी लोगों की हैसियत बराबर होगी।

3. पंथनिरपेक्षता के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नही होगा तथा वह सभी धर्मो के प्रति समान भाव रखेगा।

4. भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ शक्ति का अन्तिम स्त्रोत भारत की आम जनता है।

शासन व्यवस्था को संचालन जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाता है। इसलिए शासन भी जनता का ही है।

5. चूंकि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है। इसलिए भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है।

प्रस्तावना में उल्लेखित कर्तव्यों को स्थापित करने के लिए न्याय, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व पर जोर दिया जाता है। मानव की गरिमा तथा प्रतिष्ठा की समानता को स्थापित करने, कुछ लोकतंत्र और समाजवाद को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत में यह विवाद का विषय रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। केशवानंद भारती वाद में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया था तब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तथ एकता और अखण्डता शब्द को लाया गया।